संख्या-3/2023/13/एक-1-2023-1-1099/1/2023

प्रेषक,

सुधीर गर्ग,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
मथुरा।

राजस्व अनुभाग-1 लखनऊः दिनांकः 06 मार्च, 2023

विषयः बृजवासी एजूकेशन एण्ड वेलफेयर सोयायटी मथुरा द्वारा एस0के0एस0 इन्टरनेशनल विश्वविद्यालय, मथुरा की स्थापना हेतु बिना पूर्वानुमति के विहित सीमा से अधिक क्रय की गयी भूमि के विनियमितीकरण किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने पत्र संख्या-112/सात-बी-भू0व्य0व्य0/2022 दिनांक 02.05.2022 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से बृजवासी एजूकेशन एण्ड वेलफेयर सोयायटी मथुरा द्वारा एस0के0एस0 इन्टरनेशनल विश्वविद्यालय, मथुरा की स्थापना हेतु बिना पूर्वानुमति के विहित सीमा से अधिक क्रय की गयी भूमि के विनियमितीकरण का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (यथा संशोधित) की धारा-89 की उपधारा-3 में वर्णित व्यवस्था तथा शासनादेश संख्या-928/एक-1-2021-रा0-1, दिनांक 26.10.2021 एवं तत्सम्बन्धी संशोधित शासनादेश संख्या-09/2022/1025(1)/एक-1-2022-रा0-1, दिनांक-23.12.2022 के आलोक में श्री राज्यपाल निजी क्षेत्र के अन्तर्गत बृजवासी एजूकेशन एण्ड वेलफेयर सोसाइटी मथुरा द्वारा एस0के0एस0 इन्टरनेशनल विश्वविद्यालय, मथुरा स्थापित करने के लिये बिना पूर्वानुमति के ग्राम चौमुहा में खसरा संख्या-713/5.4390 हे0 में से विहित सीमा 5.0586हे0 को निकालते हुए शेष 0.3804 हे0 तथा ग्राम अकबरपुर में खसरा संख्या-816/2.6540 हे0 अर्थात् कुल रकबा 3.0344 हे0 भूमि के जुर्माने सहित विनियमितीकरण की अनुमति निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान करते हैं:-

(1) संस्था द्वारा आवेदन करते समय निर्धारित जिलाधिकारी सर्किल दर के अनुसार आगणित कुल मूल्य के 10 प्रतिशत अर्थात् रु0-26,34,500/- (रूपये छब्बीस लाख चौंतीस हजार पांच सौ मात्र) निर्धारित लेखा-शीर्षक ''राजस्व एवं पूंजीलेखे की प्राप्तियों के ब्योरेवार अनुमान'' के लेखाशीर्ष ''0029-भू-राजस्व-101-भू-राजस्व/कर-06-राजस्व संहिता-2006 के अन्तर्गत प्राप्तियां'' के अन्तर्गत विस्तृत शीर्ष ''03-अन्य प्राप्तियां'' में संस्था द्वारा जमा किया जायेगा।

(2) प्रश्नगत भूमि का उपयोग एस0के0एस0 इन्टरनेशनल विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु ही किया जायेगा। निर्धारित प्रयोजन से भिन्न उपयोग कदापि नहीं किया जायेगा।

-2-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(3) यदि संस्था संहिता की धारा 89 की उपधारा (3) के अधीन अनुज्ञा प्रदान किये जाने के दिनांक से पाँच वर्ष के भीतर परियोजना स्थापित करने में विफल रहता है तो उक्त अनुज्ञा व्यपगत हो जायेगी और राजस्व संहिता की धारा 89 (2) के अधीन विहित सीमा से अधिक अर्जित/क्रय की गयी भूमि राज्य सरकार में निहित हो जायेगी तथा धारा 105 के परिणाम लागू होगे। परन्तु यह कि राज्य सरकार द्वारा प्रदान की गयी अनुज्ञा की अवधि को तद्निमित्त कारण अभिलिखित करने के पश्चात अग्रेतर तीन वर्ष के लिए बढ़ा सकती है।

(4) संस्था द्वारा क्रय की गयी भूमि के मध्य स्थित ग्राम पंचायत/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित भूमि के विनिमय का प्रस्ताव निर्धारित प्रारूप पर शासन को अलग से उपलब्ध कराया जायेगा।

(5) जिलाधिकारी द्वारा विनियमितीकरण से पूर्व संस्था के सम्बन्धित गाटों के विक्रय पत्रों की जांच कर यह सुनिश्चित कर लिया जाएगा कि प्रश्नगत गाटे संस्था द्वारा क्रय/अर्जित किए गए हैं। साथ ही यह भी जांच कर ली जाये कि संस्था द्वारा किसी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा असंक्रमणीय भूमिधर की भूमि तो क्रय नहीं की गयी है।

(6) संस्था के अध्यक्ष/सचिव अथवा किसी अन्य पदाधिकारी/अधिकृत पदाधिकारी द्वारा भूमि का कोई भी भाग किसी संस्था/व्यक्ति को किसी भी रूप में शासन की पूर्वानुमति के बिना हस्तान्तरण/विक्रय नहीं किया जायेगा।

भवदीय,
सुधीर गर्ग
प्रमुख सचिव।

संख्या व दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. अपर मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
3. मण्डलायुक्त, आगरा मण्डल, आगरा।
4. श्री एस0 के0 शर्मा, चेयरमैन, बृजवासी एजूकेशन एण्ड वेलफेयर सोयायटी मथुरा, 20-ए, गोविन्दनगर, मथुरा पिन-281003
5. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
मनोज कुमार सिंह
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in